(लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2023 अपील लो.से.गा.

उनवान

श्री मेवाराम चावला निवासी भीलवाडा **बनाम**

1. प्रथम अपील अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. पदाभिहित अधिकारी एवं तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाड़ा

––अपीलार्थी

––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011

निर्णय

दिनांक : 19.12.2023

अपीलार्थी की ओर से यह द्वितीय अपील राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल एवं पदाभित अधिकारी, तहसीलदार माण्डल के विरूद्ध प्राप्त हुई, जिसमे अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने वांछित सेवा दस्तावेजों, निर्णय पत्र/विचार करने का एक आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2023 को तहसीलदार माण्डल को प्रेषित किया गया, जिसकी पालना नहीं किये जाने पर प्रथम अपील अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के समक्ष दिनांक 15.06.2023 को की गयी एवं संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष की गयी।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण एवं अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी तहसीलदार, माण्डल द्वारा उनके पत्रांक 1901 दिनांक 30.11.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की अपील व प्रत्यर्थी के जवाब का अध्ययन व परीक्षण करने पर पाया गया है कि :–

1. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी तहसीलदार माण्डल को नामान्तरकरण जरिये वसीयत प्रकरण संख्या 01/2020 से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपिया चाहने हेतु राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 की धारा 4 में आवेदन किया।
2. प्रत्यर्थी तहसीलदार माण्डल द्वारा जवाब में अंकन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की सूचना/प्रत्युत्तर कार्यालय तहसीलदार, माण्डल के पत्रांक/भू.अ./सूकाअ/2023/1117 दिनांक 28.06.2023 से अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रेषित की गई। यद्यपि प्रार्थी का आवेदन राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 की धारा 4 में किया गया है, जो सेवा प्रदान करने से संबंधित है अर्थात आवेदक द्वारा राज्य सरकार के विहित नियमों में कोई सेवा चाही गई हो यथा जमाबन्दी की प्रतिलिपि, नामान्तरकरण दर्ज करना, सीमाज्ञान करना इत्यादि, किन्तु आवेदक ने आवेदन पत्र में केवल सूचनाएं मांगी, फिर भी आवेदन नियमानुसार नहीं होने पर भी प्रार्थी को सूचनात्मक प्रत्यूत्तर मय उपलब्ध दस्तावेजात रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया, जो आवेदक द्वारा प्राप्त भी किये गये जिसका स्वीकारोक्ति कथन स्वयं अपीलार्थी ने द्वितीय अपील के बिन्दु संख्या 10(1) में अंकित भी किया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी तहसीलदार, माण्डल द्वारा अपीलार्थी को सूचना/प्रत्यूत्तर प्रेषित कर दिये जाने से अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 19.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
द्वितीय अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा